झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0- 12/2013-14/ 07 /मत्स्य, राँची, दिनांक 18.05.2016

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अंतर्गत राज्य योजना में कुल मो0 40.00 लाख (चालीस लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर मत्स्य अनुसंधान योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश संख्या 12 दिनांक 23.06.2015 एवं राज्यादेश संख्या 16 दिनांक 03.08.2015 तथा क्रमशः ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं0- 1073 दिनांक 23.06.2015 एवं 1304 दिनांक 03.08.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं0 647 एवं — दिनांक 18.5.16 के अनुसार राज्य योजना अंतर्गत कुल मो0 40.00 लाख (चालीस लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर मत्स्य अनुसंधान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

मांग संख्या 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-23-मत्स्य अनुसंधान योजना 03-प्रशासनिक व्यय 23-आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड- **53P240500789230323**	4.00
2	796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-23-मत्स्य अनुसंधान योजना 03-प्रशासनिक व्यय 23-आपूर्ति एवं सामग्री, विपत्र कोड- **53P240500796230323**	12.00
3	101-अन्तर्देशीय मछली पालन-23-मत्स्य अनुसंधान योजना 03-प्रशासनिक व्यय 23-आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड- **53P240500101230323**	21.00
4	101-अन्तर्देशीय मछली पालन 23-मत्स्य अनुसंधान योजना-07-अन्य व्यय 59-अन्य व्यय विपत्र कोड- **53P240500101230759**	3.00
	कुल योग:	**40.00**

कुल मो0 चालीस लाख रु0 मात्र।

3. मत्स्य अनुसंधान योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में निम्नवत् कार्यों/भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध राशि का व्यय किया जायेगा:

क. शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पॉच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 30/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 1.50 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायगी।

ख. एक हे0 विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन करते हुए ब्रुड स्टॉक तैयार किया जायगा, जिस पर कुल मो0 पचास हजार रु0 व्यय किये जायेंगे।

क्रमांक-'क' एवं 'ख' में उल्लेखित कार्य मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किये जायेंगे तथा संबंधित राशि इन्हें आवंटित की जायेगी।

ग. रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य तथा मिट्टी पानी जॉंच किट पर कुल मो0 छः लाख रु0 व्यय किये जायेंगे। कुल 4,000 नमूनों की जॉंच के लिए आवश्यक संख्या में किट का क्रय विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा। तालाबों के पानी एवं उत्पादकता की जॉंच हेतु किट आदि के क्रय पर मो0 2.00 लाख रु0 व्यय किए जायेंगे। रंगीन मछलियों के ब्रुडर की तैयारी, रख-रखाव एवं प्रजनन कार्य पर मो0 4.00 लाख रु0, जिसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा मो0 3.00 लाख रु0 एवं सहायक मत्स्य निदेशक (अनु0) द्वारा मो0 1.00 लाख रु0 व्यय किये जायेंगे।

घ. रंगीन मछलियों के विस्तारीकरण कार्य अंतर्गत जमशेदपुर में 50 यूनिट, बोकारो में 30 यूनिट, राँची में 50 यूनिट, गुमला में 20 यूनिट, चाईबासा में 20 यूनिट एवं सरायकेला में 20 यूनिट रंगीन मछली पालक (190 महिलाओं) के लिए कुल दस हजार रु0 प्रति महिला मत्स्य पालक यूनिट की दर से आपूर्ति एवं सामग्री मद में मो0 19.00 लाख रु0 व्यय किये जायेंगे। इस हेतु महिलाओं को विशेष रुप से प्रशिक्षित किया जाएगा एवं रंगीन मछली पालन/विपणन हेतु आवश्यक उपकरण दिये जायेंगे। जमशेदपुर, चाईबासा, गुमला, बोकारो तथा सरायकेला के रंगीन मछली पालक यूनिट की योग्य महिलाओं के लिए उपकरणों की व्यवस्था, तकनीकी संपोषण एवं परियोजना कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी तथा राँची जिले की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक, (अनु0) की होगी। संबंधित पदाधिकारी भौतिक लक्ष्य एवं दिए गए आवंटन के विरूद्ध संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

पूर्व संचालित रंगीन मछलियों की इकाई (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री पर मो0 3.00 लाख रु0 व्यय किये जायेंगे।

ङ. समेकित मत्स्य पालन, म्यूजियम एवं प्रयोगशाला के रख-रखाव पर मो0 5.00 लाख रु0 एवं विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई तथा अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन पर मो0 1.00 लाख रु0 व्यय किये जायेंगे।

च. मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, राँची द्वारा मत्स्य विपणन/ मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई.टी.-बेस्ड कार्यक्रम/वेब साईट/मोबाईल एप्प विकसित कराया जायगा, जिस हेतु मो0 1.00 लाख रु0 मात्र प्रक्रियानुसार व्यय किये जायेंगे।

छ. तालाबों/ जलकरों के पानी मिट्टी की जॉच : मत्स्य पालन पर जल एवं मिट्टी के प्रभाव की जॉच एवं डेटाबेस संधारण हेतु 50/-रु प्रति यूनिट की अनुमानित दर से 4000 तालाबों/ जलकरों के मिट्टी एवं जल की जॉच का लक्ष्य है जिसके लिये मो0 2.00 लाख रु0 तथा बुकलेट की छपाई एवं डाटा इन्ट्री एवं अन्य कार्य हेतु मो0 1.00 लाख रु0 का अनुमानित व्यय किया जायेगा।

07
18.5.16

4. इस योजना के लिए कुल स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित योजना उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अंतर्गत है।

5. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), रॉची, मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जमशेदपुर, चाईबासा, गुमला, बोकारो तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला होंगे, जो राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

6. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत प्रसंगाधीन कार्यों का ससमय निष्पादन करायेंगे। योजना का कार्यान्वयन स्थापित प्रक्रिया/प्रावधानों के अनुरुप स-समय किया जायेगा।

7. (क) सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाये। पूर्व से भंडार में रखे सामग्री एवं भंडार पंजी का सत्यापन कर लिया जाये।

(ख) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दूसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(ग) योजना के कार्यान्वयन में राशि निकासी एवं व्ययन पूर्व वित्त/कोषागार एवं अन्य संहिताओं में सु-संगत प्रावधानों का अनुपालन करने की जवाबदेही संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(घ) राशि दुर्विनियोग एवं विचलन के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(ड.) व्यय पश्चात् अंकेक्षण महालेखाकार तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग से यथा-शीघ्र करायी जाये।

8. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। बजट में उपबंधित राशि तथा मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

10. राशि का व्यय स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी तथा निदेशक मत्स्य वित्तीय वर्ष 2015-16 की वित्तीय/ भौतिक उपलब्धियों से संतुष्ट हो कर ही चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन निर्गत करेंगे।

11. इस योजना में कोई भी अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है ।

12. यह पूर्णतः राज्य योजना है ।

13. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत बजट उपबंध 50.00 लाख (पचास लाख) रु0 मात्र में से वास्तविक व्यय 31.97 लाख (एकतीस लाख सनतानवे हजार) रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है ।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है। इस योजना हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रस्ताव आवश्यक नहीं है ।

07
18.5.16

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

18/5/16

(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 07 / मत्स्य / राँची , दिनांक 18.5.16

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, जमशेदपुर, चाईबासा, गुमला, बोकारो तथा सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 07 / मत्स्य / राँची , दिनांक 18.5.16

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 07 / मत्स्य / राँची , दिनांक 18.5.16

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना सह वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव/ विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/5/16

सरकार के विशेष सचिव

परिशिष्ट-।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य अनुसंधान योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रायोगिक कार्यों हेतु वित्तीय लक्ष्य **(राशि लाख रु0 में)**

क्र0	लघु शीर्ष	उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि0 ग्रा0 पंगस मछली उत्पादन का प्रत्यक्षण	1 हे0 विभागीय जल क्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन	रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य तथा मिट्टी पानी जाँच किट	रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य (महिला युनिट हेतु)	पूर्व संचालित रंगीन मछलियों की इकाई हेतु पूरक- सामग्री	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव एवं अन्य प्रायोगिक कार्य	विभागीय तालाबो में देशी मांगुर, कवई आदि नई प्रजातियों का प्रायोगिक पालन	आई0 टी0 बेस्ड कार्यक्रम हेतु	4000 मिट्टी पानी नमूनों की जाँच का वित्तीय लक्ष्य/ बुकलेट छपाई एवं डाटा इन्ट्री कार्य	कुल
			मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	23-मत्स्य अनुसंधान योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री- 53P240500789230323	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	23- मत्स्य अनुसंधान योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500796230323	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	12.00
3	101-अन्तर्देशीय मछली पालन	23- मत्स्य अनुसंधान योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500101230323	1.50	0.50	6.00	5.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	21.00
4		23- मत्स्य अनुसंधान योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय 53P240500101230759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
कुल वित्तीय लक्ष्य :												**40.00**

नोट: वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

सरकार के विशेष सचिव

07
18.05.16